भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3657

जिसका उत्तर सोमवार, 11 अगस्त, 2025/20 श्रावण, 1947 (शक) को दिया गया

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए पुरानी पेंशन योजना

3657. डॉ. धर्मवीर गांधी:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उन सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) का लाभ देने का निर्णय लिया है जिनकी नियुक्ति 1 जनवरी 2004 के बाद हुई थी, लेकिन जिनकी भर्ती प्रक्रिया/विज्ञापन 1 जनवरी 2004 से पहले शुरू किया गया था और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारियों के लिए समान व्यापक प्रावधान लागू करने का विचार रखती है; और

(ग) क्या सरकार यह सुनिश्चित करती है कि भारतीय स्टेट बैंक के सभी कर्मचारी जिनकी भर्ती प्रक्रिया (जैसे विज्ञापन या परीक्षा) 1 अगस्त 2010 से पहले आयोजित की गई थी, लेकिन जिनकी नियुक्ति अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण विलंबित हुई और 1 अगस्त 2010 के बाद हुई, उन्हें भी पुरानी पेंशन में शामिल किया जाए?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री पंकज चौधरी)

(क) और (ख) : विभिन्न न्यायालयीन निर्णयों के आलोक में, सरकार ने दिनांक 03.03.2023 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 57/05/2021-पी एवं पीडब्लू (ख) के माध्यम से निर्देश जारी किए थे, जिसमें केंद्र सरकार के उन सिविल कर्मचारियों को सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 (अब वर्ष 2021) के अंतर्गत शामिल होने का एकमुश्त विकल्प दिया गया था, जिन्हें राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की अधिसूचना जारी होने से पहले अर्थात दिनांक 22.12.2003 को भर्ती/नियुक्ति के लिए विज्ञापित/अधिसूचित पदों या रिक्तियों पर नियुक्त किया गया था। इसके अलावा, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए वित्त मंत्रालय में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग): भारतीय स्टेट बैंक कर्मचारी पेंशन निधि विनियम, 2014 के अनुसार, पुरानी पेंशन उन लोगों पर लागू नहीं होगी जो दिनांक 01.08.2010 को या उसके बाद एसबीआई की सेवाओं में शामिल हुए थे।

******